

Report
Of
the

Joint Committee Constituted by
Hon'ble NGT

In reference to
Original Application
No.194/2025(CZ); National Nature
Society V/s Principal Secretary,
Department of Mines and
Petroleum & Ors.

Members of the Joint Committee: -

- 1. Shri Rajesh Kumar Nayak, Sub Divisional Officer, Kolayat, District: -
Bikaner**
- 2. Shri Rajkumar Meena, Regional Officer, RSPCB, Bikaner**

INDEX

Sr.No.	Particular	Page No.
1.	Report of Joint Committee	3-12
2.	Annexure C-1 Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal order dated 07-01-2026	13-15
3.	Annexure C-2 Nomination of Officials from Concerning Departments	16-22
4.	Annexure C-3 List of attendees in Joint Committee meeting on 24-02-2026	23
5.	Annexure C-4 Copy of letter dated 05-03-2026	24
6.	Annexure C-5 Moka Report prepared by Patwari for Khasra no. 268/77	25-27
7.	Annexure C-6 Moka Report prepared by Patwari for Khasra no. 69	28
8.	Annexure C-7 Moka Report prepared by Patwari for Khasra No. 313/73 & 314/73	29-34
9.	Annexure C-8 Copy of Circular dated 05/07/2021 issued by Mine (Group-II) Department, Government of Rajasthan regarding prevention of illegal mining	35-36
10.	Annexure C-9 Information provided by Mining Department vide letter dated 06/03/2026	37-43
11.	Annexure C-10 Information provided by Tehsildar, Kolayat vide letter dated 09/03/2026	44-72

Factual report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal Central Zone Bench, Bhopal order dated 07-01-2026 in the matter of OA 194/2025 (CZ), National Nature Society V/s Principal Secretary, Department of Mines and Petroleum & Ors.

Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal vide order dated 07-01-2026 issued following order/instructions in the matter of OA 194/2025 (CZ) of National Nature Society V/s Principal Secretary, Department of Mines and Petroleum & Ors: -

- "1. The contention of the learned counsel for the applicant are that the illegal mining activity of bajri is going on without requisite statutory permissions/clearance/No objection Certificate from concerned statutory Regulators and Authorities and without observing proper extraction mechanism, endangering environment and human life.*
- 2. A mining lease having ML No. 268/77 in favour Smt. Magan Kanwar W/o Shri Jaswant Singh Village Hadla Bhatiyan, Tehsil: - Kolayat, District: - Bikaner, Rajasthan, these people were found engaged in illegal mining. Similarly, Smt. Prem Kanwar W/o Shri Megh Singh: Mahendra Singh S/o Shri Megh Singh and Vinod Kanwar D/o Shri Megh Singh are also engaged in illegal mining at Khasra No. 73 & 69 Village Hadla Bhatiyan, Tehsil: - Kolayat, District: - Bikaner. In this regard the mining department had filed FIR against these individuals in the year 2021.*
- 3. It is further submitted that till date no illegal action has been initiated against the violators in-spite of the lodging of the first information report for illegal mining.*
- 4. A substantial issue of environment has been raised.*
- 7. We also deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present original application, from a Joint Committee consisting of:*
- I. One Representative from District Collector, Bikaner, Rajasthan.*
- II. One representative from State Pollution Control Board, Rajasthan*
- 8. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."*

Copy of Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal order dated 07-01-2026 is enclosed at **Annexure-C-1**.

Constitution of the Joint Committee: -

In compliance of above Hon'ble Tribunal order dated 07-01-2026, the following officials have been nominated as members of Joint Committee by respective departments: -

1. Shri Rajesh Kumar Nayak, Sub Divisional Officer, Kolayat, District: - Bikaner. (One Representative from District Collector, Bikaner, Rajasthan).
2. Shri Rajkumar Meena, Regional Officer, RSPCB, Bikaner (One representative from the State Pollution Control Board, Rajasthan).

Copies of the nomination letters are enclosed at **Annexure-C-2**.

MEETING AND FIELD VISIT BY THE JOINT COMMITTEE: -

Regular discussions were held among Joint Committee members in the reference to Original Application before Hon'ble National Green Tribunal. A meeting of Joint Committee was held on 24-02-2026 at 11:00 AM in chamber of SDM, Kolayat, District: - Bikaner to ask the information regarding the status of illegal mining at ML No.: -268/77 and Khasra No. 73 & 69 Village Hadla Bhatiyani, FIR status, status of NOCs from concerning departments as to examine the facts of the matter. Joint Committee was also decided to call Girdawar/Patwari of concerning area during field visit. List of attendees in meeting is enclosed at **Annexure-C-3**. Details of points discussed in the joint committee meeting are as follows –

1. The representatives from the Mining Department informed that mining lease with ML No. 268/77 does not exist in village Hadla bhatiyani. However, FIR was filed for illegal mining at Khasra No. 268/77 in Hadla Bhatiyani. It is presumed that ML 268/77 has been inadvertently mentioned for Khasra No 268/77 in Hon'ble National Green Tribunal order dated 07-01-2026.
2. The representatives from the Mining Department also informed that FIR was filed for illegal mining at Khasra No.: -268/77 and Khasra No. 73 & 69 Village Hadla Bhatiyani in the year of 2020. There is no FIR had been filed in the year of 2021 for illegal mining at Khasra No.: -268/77 and Khasra No. 73 & 69 Village Hadla Bhatiyani.




3. Mining department was directed to provide the copy of FIR filed by mining department in the matter of illegal mining at Khasra No.: -268/77 and Khasra No. 73 & 69 village Hadla Bhatiyen as mentioned in Hon'ble NGT order dated 07-01-2026. Also directed to provide present status of FIR & details of the legal proceedings, including information related to OIC made by the Mining Department after filing of the FIR.
4. Mining Department directed to provide information was sought regarding any official action taken for mineral recovery in the case of illegal mining.
5. Tehsildar Kolayat was directed to provide details related with any action taken i.e. cancelation of land rights of Khatedar as per rules in the matter of illegal mining.


A letter was also written for asking aforesaid information from concerning Department vide RSPCB, Bikaner letter dated 05-03-2026. Copy of letter dated 05-03-2026 is enclosed at **Annexure-C-4**.

FIELD OBSERVATIONS:

After conclusion of the meeting, the Joint Committee conducted a field visit on 24.02.2026 at Khasra No. 268/77 and Khasra No. 73 & 69 of Village Hadla Bhatiyen. During visit, Tehsildar, kolayat, Representatives from Mining department, Bikaner and Patwari of Village Hadla Bhatiyen were also present. The observations recorded by the Joint Committee during the said field visit are as following: -

1. During the field inspection, mining activity was observed being carried out on the Khasra No. 268/77. Copy of Moka Report prepared by Patwari for Khasra no. 268/77 is enclosed at **Annexure-C-5**. Satellite imagery of Khasra No. 268/77 and adjoining areas of Village Hadla Bhatiyen for the period 2016 to 2023, obtained from Google Earth, is presented below for reference:







2. During the field visit, joint committee found that no mining activity was observed at Khasra No. 69, Village Hadla Bhatiyar and agricultural activity was found to be prevailing. Mining activity was observed being carried out on the Khasra No. 73. As information provided by Patwari, Hadla Bhatiyar, the original Khasra No.



73 has been bifurcated into five new Khasras, namely 247/73, 313/73, 314/73, 315/73 and 317/73. As per the Patwari Moka Report dated 24.02.2026 indicates that mining activity was observed on Khasra Nos. 313/73 and 314/73. Copy of Moka Report prepared by Patwari for Khasra no. 69 is enclosed at **Annexure-C-6** and Moka Report of Khasra No. 313/73 & 314/73 is enclosed at **Annexure-C-7**.

3. Satellite imagery of Khasra No. 69, 247/73, 313/73, 314/73, 315/73 and 317/73 and adjoining areas of Village Hadla Bhatiyar for the period 2019 to 2023, obtained from Google Earth, is presented below for reference:



Satellite Images from 2016 to 2023 showing status of Area of Khasra No 69, 247/73, 313/73, 314/73, 315/73 and 317/73



Status of Khasra No 69 observed during Joint Visit

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

4. As per the records available with the Rajasthan State Pollution Control Board, no Consent has been issued for the Khasra No. 268/77, 313/73 and 314/73. Further, as per information provided by the Department of Mines and Geology, no mining lease/deed/STP has been executed for the said Khasras. In view of the above, the mining activity being carried out on Khasra No. 268/77, 313/73 and 314/73 appears to be unauthorized and illegal.
5. During the inspection, representatives of the Department of Mines and Geology informed to Joint Committee that a drone survey of Khasra No. 268/77, 69, 247/73, 313/73, 314/73, 315/73, 317/73 and adjoining areas of Village Hadla Bhatiyani is currently being undertaken in order to determine the extent and quantum of illegal mining activity. Based on the findings of the said survey, further action including registration of FIR, imposition of penalty and initiation of proceedings against the concerned Khatedars will be undertaken.
6. Tehsildar, Kolayat and Patwari, Hadla Bhatiyani informed that Khasra No. 268/77, 69, 247/73, 313/73, 314/73, 315/73, 317/73 and adjoining areas of Village Hadla Bhatiyani is currently being undertaken in order to determine, where illegal mining was underway and after identification, initiate of proceedings regarding cancellation of Khatedari rights as per the Rules.

Action Taken report so far: -

- As per the records available with the Rajasthan State Pollution Control Board, no Consent has been issued for any mining activities at the Khasra No. 268/77, 313/73 and 314/73. In this context it is also submitted that Mine (Group-II) Department, Government of Rajasthan has issued a Circular on date 05/07/2021 regarding prevention of illegal mining. As per this circular responsibility for prevention of illegal mining lies with Forest Department in Forest areas, Mining Department in Non-Forest Areas, Tehsildar in Khatedari land and District Collector/ RIICO/UIT/other land authorities in Converted/Industrial Land. Copy of Circular dated 05/07/2021 is enclosed at **Annexure-C-8**.
- As per details provided by Mining Department, Bikaner that earlier FIR was filed for Khasra No. 268/77 vide FIR No. 24/2020 dated 05/03/2020 and for Khasra No. 69 & 73 vide FIR no. 23/2020 dated 04/03/2020. In Both FIR matter,




Challan has been presented in Hon'ble Court and however no penalties have been imposed due to matter under sub-judice in Hon'ble Court. No fresh FIR has been filed for illegal Mining in the said Khasras. However, case has been filed in Hon'ble Court for illegal mining at Khasra No. 313/73 and 314/73 Village Hadla Bhatiyani. Copy of letter received from Mining Department is enclosed at **Annexure-C-9.**

- As per details provided by Tehsildar, Kolayat that case has been filed in Hon'ble Assistant Collector Court and Sub-Divisional Court, Kolayat for cancelation of Khatedari rights of Khasra No. 268/77, 313/73 and 314/73 under Rules 177 and 212 of Rajasthan Tenancy Act'1955 due to illegal mining activities was found at said Khasras. Copy of letter received from Tehsildar, Kolayat is enclosed at **Annexure-C-10.**


(Rajkumar Meena)
Regional officer


(Rajesh Kumar Nayak)
SDM, Kolayat

Photographs Taken During Field Visit



A handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' or similar shape.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a stylized 'V' or similar shape.

Photographs Taken During Field Visit



Photographs Taken During Field Visit



Item No.06

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)**

Original Application No.194/2025(CZ)

National Nature Society

Applicant(s)

Vs.

Principal Secretary,
Department of Mines and Petroleum & Ors.

Respondent(s)

Date of Hearing: 07.01.2026

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. SUDHIR KUMAR CHATURVEDI, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s): Mr. L.S. Kachhawa, Adv.

For Respondent(s): None.

ORDER

1. The contention of the learned counsel for the applicant are that the illegal mining activity of bajri is going on without requisite statutory permissions/clearance/ No Objection Certificate from concerned Statutory Regulators and Authorities and without observing proper extraction mechanism, endangering environment and human life.
2. A mining lease having ML No. 268/77 in favour Smt. Magan Kanwar W/o Shri Jaswant Singh Village Hadla Bhatiyar, Tehsil Kolayat, District Bikaner, Rajasthan, these people were found engaged in illegal mining. Similarly, Smt. Prem Kanwar W/o Shri Megh Singh; Mahendra Singh S/o Shri Megh Singh and Vinod Kanwar D/o Shri Megh Singh are also engaged in illegal mining at Khasra No. 73 & 69 Village Hadla Bhatiyar, Tehsil Kolayat, District Bikaner. In this regard the mining department had filed FIR against these individuals in the year 2021.

3. It is further submitted that till date no illegal action has been initiated against the violators in-spite of the lodging of the first information report for illegal mining.
4. A substantial issue of environment has been raised.
5. Issue notice to the respondents, returnable within four weeks. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
6. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.
7. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-
 - i. One representative from District Collector, Bikaner, Rajasthan.
 - ii. One representative from State Pollution Control Board, Rajasthan.
8. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
9. Applicant is directed to supply the copy of the application and relevant documents to the Committee and Respondent(s) within a week and after compliance of service, the applicant has to submit an affidavit that the notice and copy of the application have been served upon the Committee and respondent(s).

10. The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **19th March, 2026.**

Sheo Kumar Singh, JM

Sudhir Kumar Chaturvedi, EM

07th January, 2026,
OA No.194/2025(CZ)
PN

कार्यालय जिला कलक्टर बीकानेर

क्रमांक:सीबी/सामा/कलक्टरप्रतिनिधि/2025-26/2657 दिनांक: यथा हस्ताक्षर
02-02-26.

आदेश

रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ, भोपाल के पत्र क्रमांक NGT-CZB/Jud./2026/30 Bhopal, Date 16.01.2026 द्वारा Original Application No. 194/2025 (CZ) Titled as National Nature Society Vs Principal Secretary, Department of Mines and Petroleum & Ors. में प्रदत्त आदेश (प्रति संलग्न) की पालना में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ, भोपाल द्वारा प्रदत्त आदेशानुसार संयुक्त समिति में उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को अधोहस्ताक्षरकर्ता का प्रतिनिधि मनोनीत किया जाता है। मनोनीत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त समिति में नियुक्त अन्य सदस्य से समन्वय करते हुए अपेक्षित कार्यवाही करें तथा निर्धारित समयावधि में रिपोर्ट तैयार कर अगली सुनवाई से पूर्व ईमेल के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ, भोपाल को प्रस्तुत करते हुए इस कार्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करावें।

(नमता वृष्णि)

जिला कलक्टर, बीकानेर

क्रमांक:सीबी/सामा/कलक्टरप्रतिनिधि/2025-26/2658-70 दिनांक: यथा हस्ताक्षर 02-02-26.
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ, भोपाल
2. जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर
4. अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)/(नगर) बीकानेर
5. उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को पालनार्थ।
6. प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा/राजस्व शाखा/भूअभिलेख शाखा, कार्यालय हाजा
7. तहसीलदार राजस्व कोलायत
8. क्षेत्रीय अधिकारी, राज.राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बीकानेर
9. खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर
10. वरिष्ठ निजी सचिव, जिला कलक्टर

जिला कलक्टर, बीकानेर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Narmata Vrishni
Designation : Collector & District
Magistrate Page 16
Date: 2026.02.02 17:11:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20254501





NATIONAL GREEN TRIBUNAL / राष्ट्रीय हरित अधिकरण

CENTRAL ZONAL BENCH / मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ,

III FLOOR, STATE INFORMATION COMMISSION BUILDING / तृतीय तल, राज्य सूचना आयोग भवन,

ARERA HILLS, BHOPAL - 462011 / अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011

NGT-CZB/Jud./2026/30

Bhopal, Date : 16 / 01 / 2026

To,

- i. The District Collector,
District- Bikaner (Raj)
- ii. The Member Secretary,
RS PCB, Jaipur (Raj.)

Sub: Compliance of order in Original Application No.194/2025(CZ) titled as National Nature Society Vs Principal Secretary, Department of Mines and Petroleum & Ors.

In compliance of order dated 15th January 2026 passed by the Hon'ble Principal Bench in Original Application No.194/2025(CZ) titled as National Nature Society Vs Principal Secretary, Department of Mines and Petroleum & Ors. As per the order, a Joint Committee has also been constituted comprising of officials duly authorized by :-

- i. One representative from District Collector, Bikaner, Rajasthan.
- ii. One representative from State Pollution Control Board, Rajasthan.

The Committee is directed to visit the place and submit the action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support. The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of image PDF, as the next date of hearing is 19th March, 2025.

2. Further, it is also informed that an email in this regard has already been sent to your office on 16-01-2026 and which can also be obtain from official website of NGT (www.greentribunal.gov.in).

Please acknowledge the receipt,

Dr 16-01-2026

(Dharmendra Kumar Singh)

Page 17 of 17

Collector Office, Bikaner
Section..... Gen.
S.N..... Date 23/1/26
Collector.....
Adm(A) Adm (C) OS.....

Registered Post / Dasti Notice

NGT-CZB/2025/30

Bhopal, Date : 16 /01/2026

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

Original Application No.194/2025(CZ)

National Nature Society

Vs

State of Rajasthan & Ors.

To,

District Collector, Bikaner,
Rath Khana Colony, Bikaner,
Rajasthan 334001
Email : dm-bik-rj@nic.in

R-2

:: NOTICE ON ADMISSION ::

Whereas an application has been filed by the above named applicant(s) under section 18(1) read with 14, 15, 16 and 17 of the National Green Tribunal Act, 2010 and after preliminary hearing, the Hon'ble Tribunal has been pleased to admit the Application and issue the notice.

2. Therefore, notice is hereby given to you to submit reply as per procedure and rules in this matter before 19.03.2026 at 10.30AM; duly instructed to file response/reply alongwith supporting documents, if any, as per the direction of the Hon'ble Tribunal, before the said date.

3. Take notice that in case of default, the said application will be heard and determined in absence of reply.

4. Given under my hand and the seal of the Tribunal, this the 16 .01.2026

Notice + Petition Copy.



16/01/2026
(Dharmendra Kumar Singh)
Registrar

Item No.06

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)**

Original Application No.194/2025(CZ)

National Nature Society

Applicant(s)

Vs.

Principal Secretary,
Department of Mines and Petroleum & Ors.

Respondent(s)

Date of Hearing: 07.01.2026

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. SUDHIR KUMAR CHATURVEDI, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s): Mr. L.S. Kachhawa, Adv.

For Respondent(s): None.

ORDER

1. The contention of the learned counsel for the applicant are that the illegal mining activity of bajri is going on without requisite statutory permissions/clearance/ No Objection Certificate from concerned Statutory Regulators and Authorities and without observing proper extraction mechanism, endangering environment and human life.
2. A mining lease having ML No. 268/77 in favour Smt. Magan Kanwar W/o Shri Jaswant Singh Village Hadla Bhatiyar, Tehsil Kolayat, District Bikaner, Rajasthan, these people were found engaged in illegal mining. Similarly, Smt. Prem Kanwar W/o Shri Megh Singh; Mahendra Singh S/o Shri Megh Singh and Vinod Kanwar D/o Shri Megh Singh are also engaged in illegal mining at Khasra No. 73 & 69 Village Hadla Bhatiyar, Tehsil Kolayat, District Bikaner. In this regard the mining department had filed FIR against these individuals in the year 2021.

3. It is further submitted that till date no illegal action has been initiated against the violators in-spite of the lodging of the first information report for illegal mining.
4. A substantial issue of environment has been raised.
5. Issue notice to the respondents, returnable within four weeks. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
6. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.
7. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-
 - i. One representative from District Collector, Bikaner, Rajasthan.
 - ii. One representative from State Pollution Control Board, Rajasthan.
8. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
9. Applicant is directed to supply the copy of the application and relevant documents to the Committee and Respondent(s) within a week and after compliance of service, the applicant has to submit an affidavit that the notice and copy of the application have been served upon the Committee and respondent(s).

10. The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **19th March, 2026.**

Sheo Kumar Singh, JM

Sudhir Kumar Chaturvedi, EM

07th January, 2026,
OA No. 194/2025(CZ)
PN



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004

Phone :0141- 2716804, 2716800 e-mail :member-secretary@rpcb.nic.in

Helpline No.: 0141-2716877

No. F.10 (807) RPCB/Legal/NGT/2026/ 1377-1378

Date: 03/02/2026

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Bikaner
Mobile No. 9413447806:
Email: ro.bikaner@gmail.com

Subject:- Nomination of Member as well as Nodal Officer to Joint Committee in compliance with the Order dated 07.01.2026 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal in O.A. No. 194/2025 (CZ), titled National Nature Society V/s State of Rajasthan & Ors.

Sir,

This is with reference to the subject cited above. The Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal, vide its order dated 07.01.2026 in Original Application No. 194/2025 (CZ), has constituted a Joint Committee and inter alia, directed as follows:

7. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

i. One representative from District Collector, Bikaner, Rajasthan.

ii. One representative from State Pollution Control Board, Rajasthan

8. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

In compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, you are hereby appointed as the Member as well as Nodal Officer representing the Rajasthan State Pollution Control Board in the aforesaid Joint Committee. You are directed to coordinate with all concerned authorities and ensure timely submission of the report in accordance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

A copy of the Tribunal's order dated 07.01.2026 is enclosed herewith for your ready reference and necessary action in the matter.

Encls-As above.

(Kapil Chandrawal)
Member Secretary

Copy to following for information and necessary action:


1. District Collector, Bikaner, Rajasthan.

RajKaj Ref No.:
20279288

eSign DSC

Member Secretary
Document certified by KAPIL
CHANDRAWAL <kcmnit@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by Kapil
Chandrawal
Designation: Member Secretary
Date :03-02-2026 12:41:44

	REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD Plot No SPL-33, Phase-2nd, Bhichhwal Industrial Area, Bikaner - 334001 Email:-ro.bikaner@gmail.com environment.rajasthan.gov.in	0151-2250006
	RPCB/RO/BIK/Legal-49/ 3809-11	Date: 05/03/2026

Mining Engineer
Department of Mines & Geology
Bikaner

Subject:- In the matter of Hon'ble National Green Tribunal O.A. No. 194/2025(CZ) National Nature Society V/s Principal Secretary, Department of Mines and Petroleum & Ors.

Reference :- 1. Hon'ble National Green Tribunal Order dated 07-01-2026.
 2. Joint Committee meeting held on dated 24-02-2026 in the chamber of SDM Kolayat.

Sir

With reference to above subject matter and in continuation of the Joint Committee meeting held on 24.02.2026 in the matter of Hon'ble National Green Tribunal O.A. No. 194/2025(CZ) National Nature Society V/s Principal Secretary, Department of Mines and Petroleum & Ors. As per discussion of joint committee, you are requested to please provide following information related with aforesaid Hon'ble National Green Tribunal:-

1. Copy of the FIR filed by mining department against illegal mining at ML No. 268/77 and Khasra No. 73 & 69 as mentioned in the Hon'ble NGT order dated 07-01-2026. Present Status of FIR & details of the legal proceedings made by the Department after filing of the FIR.
2. Copy of any other FIR filed by mining department recently against illegal mining at ML No. 268/77 and Khasra No.73 & 69.
3. Any Information regarding the monitoring mechanism adopted by the Department thereafter.
4. Details of any penalty/compensation imposed on the concerned persons, along with the present status of recovery.

You are requested to please provide aforementioned information to the joint committee and also submit other relevant documents/facts related with above Hon'ble National Green Tribunal matter. So that further formal proceedings can be made regarding factual report submission and action taken report in the matter.

Yours faithfully


 (Rajkumar Meena)
 Regional Officer

Copy to:-

1. SDM Kolayat for information please.
2. Tehsildar, Kolayat, you are requested to provide details related with any action by Revenue Department against illegal mining at ML No. 268/77 and Khasra No. 73 & 69 as mentioned in the Hon'ble NGT order dated 07-01-2026.

Page 24



 Regional Officer

मौका फर्द

आज दिनांक- 24/02/2026 को ग्राम हाइला रावलोगन के खसरा नं. 268/77 लक्ष्मी 2.77 ई. भूमि पर मौका निरीक्षण हेतु पहुंचा। मौके पर उक्त खसरा नं. पर अशुद्ध उपयोक्त अवैध खजती खनन पाया गया। उक्त भूमि मंगनकर पत्नी जयवन्तीप्रद जाति राजपूत साठ हेतु खसरा ईद रिकार्ड उक्त भूमि पर वर्तमान खनन कार्य किया जा रहा है तथा वर्तमान में कोई व्यक्ति व मांगजात सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं हो पायी है।

वर्तमान में ही उक्त खनन का नजदी नक्शा

निम्नांकित है।



दिनांक
24.2.26
I.P.R. गजनेट

24/02/2026
पटवारी हाइला आदिमार्ग
(अतिरिक्त)



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- हाडलारावलोतान
पटवार हल्का :- हाडलाभाटियान
भू.अभि.नि. :- गजनेर
तहसील :- कोलायत
जिला :- बीकानेर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2073-2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से म्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 114
खाता संख्या पुराना :- 90

काश्तकार का नाम:-

1. मगनकवर पत्रि जसबन्तसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. देह खातेदार अ.विव.- ना.स.439,441,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
268/77	2.7700	बंजड़ पाला	2.7700	2.77	स्वीकृत नामान्तरकरण : 699 17/04/2025रहनमुक्त	
कुल खसरे - 1	2.7700		2.7700	2.7700		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।
नकल जारी करने की तिथि :- 24-Feb-2026

NIC

24/02/2026
जैठाराम
पटवारी (भू. अ.)
प. मं. हाडलाभाटियान
तहसील-कोलायत

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAR

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी (प्रतिलिपि)

दिनांक 24/02/2026 04:15:5


जिला : बीकानेर

तहसील : कोलायत

भू. अ. नि. क्षेत्र गजमेर

पटवारी इन्फो : झडलाधारियाम

ग्राम : हलडुताराखलोतान



खसरा संख्या : 268/77 क्षेत्रफल : 2.7700 Hectare खाता संख्या : 114 पुराना खाता संख्या : 90

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बंजड़ पाला [2.7700, 2.77]

1.) मगनकवर पाले जसदन्तसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. देह खातेदार अ.विव.- ना.स.439,441

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

24/02/2026
 जेठाराम
 पटवारी (भू. अ.)
 प. मं. झडलाधारियाम
 तहसील-कोलायत

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रीमानवी

ग्राम हासना ~~विकास~~ के खण्ड नं. 69 तालुका 0.47 ई.

उमठवर पकी लव-मेघासिंह सकानीसिंह मेघनीसिंह शिवसिंह विनोदसिंह
 पुत्र पुत्रिया मेघासिंह वदिक जाति राजपूत साठ 36 खोटेडा 34
 रिक्त है उक्त श्रमी का नाम विहीनता किया गया है
 उक्त खोटे में कोई खनन नहीं है उक्त खोटे का
 काश्त पानी गभी)

रिपोर्ट सारं पत्रा है


24/07/2026
 प्रवादी हासना आसिंह
 (अति.पति)

फटे मौवा

आंश दिनांक 24/02/2026 को ग्राम हाडला राबलोवन के ख.नं. 313/73 नक़्शे 3.29 हे. क्षेत्रीय एवं रेगुलेशन Y2 दि. नारायणीडर परी स्वर. रेगुलेशन Y2 दि. जाति रादरुत सार डेर. खोपेशा (शुभी का मौवा देखा गया) मौवे पर उक्त ख.नं. 313/23 नक़्शे 3.29 हे. शुभी के से लगभग 1.10 हे. शुभी पर ओरेंडर बजरी खनन पाया गया) उक्त शुभी पर वर्तमान के खनन कार्य किया जा रहा है तथा अभी वर्तमान के मौवे पर कोई पत्थर व काठानात सम्बन्धी कार्य पाएवादी नहीं हो पायी है

वर्तमान में हो रहे खनन खनन का नक़्शे नक़्शा

निम्नानुसार है



24/02/2026
परी हाडला भागिया
(शति-यादि)

24.2.26
ICR गजमेर



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- हाइलाराबलोतान
पटवार हल्का :- हाइलाभाटियान
भू.अभि.नि. :- गजनेर
तहसील :- कोलायत
जिला :- बीकानेर

अंतिम बीसला आधार संवत्त :- 2073-2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) में स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाता संख्या नया :- 33
खाता संख्या पुराना :- 143

काश्तकार का नाम:-

1. छैलु सिंह पुत्र केशुसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
2. नारायणी कंवर पत्रि स्व. केशुसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
313/73	3.2300	गैर मुम्किन बंजड़ पाला	0.0300 3.2000	3.20	स्वीकृत नामांतरकरण : 625 08/06/2023 विरासन	
कुल खसरे - 1	3.2300		3.2300	3.2000		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 24-Feb-2026

NIG

21/02/2026
जठाराम
पटवारी (भ. अ.)
प. मं. हाइलाभाटियान
तहसील-कोलायत

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी (प्रतिलिपि)

दिनांक : 24/02/2026 03:56:26 PM


जिला : बीकानेर

तहसील : कोलायत

भू. अ. नि. क्षेत्र : राजमेर

परवारी हत्का : हाइलाधारिया

ग्राम : हाइलाधारिया



Scale 1:4000

खसरा संख्या : 313/73 क्षेत्रफल : 3.2300 Hectare खाता संख्या : 33 पुराना खाता संख्या : 143

भूमि किन्मा [क्षेत्रफल लगान] : गैर मुम्किन [0.0300], बंजड़ पाला [3.2000, 3.20]

- 1.) छेतु सिंह पुत्र केशुसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
- 2.) नाययणी कंदर पत्नि स्व. केशुसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

जेठाराम
परवारी (भू. अ.)
प. मं. ... हाइलाधारिया
तहसील-कोलायत


- नोट :-
१. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 २. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 ३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

फर्रुखी मौवा

आज दिनांक 24/02/2026 के ग्राम हाडला रावलोवाग के
 खास नं. 314/73 बादादी 4.07 है। जगमालीसिंह पुत्र शोवजीसिंह
 जति राणपुर साठे 18 खतिया शमी का मौवा देखा गया
 मौवा पर उतर खतन. 314/73 बादादी 4.07 है। मैं से लगभग
 2.0 है शमी पर कर्मचारी बंदी खतन था 01/10/13
 शमी पर बर्तमान में खतन कार्य किया जा रहा है तथा
 बर्तमान में कोई व्यक्ति व कागजात सम्बन्धी कोई जानकारी
 नहीं हो पायी है

बर्तमान में जो रहे खतन का नती नक्शा

निम्नानुसार है



दिनांक
 24/02/2026

पखारी हाडला रावलोवाग
 (साति 0-चाई)



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- हाडलाराबलोतान
पटवार हल्का :- हाडलाभाटियान
भू.अभि.नि. :- गजनेर
तहसील :- कोलायत
जिला :- बीकानेर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2073-2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 55
खाता संख्या पुराना :- 82

काश्तकार का नाम:-

1. जगमालसिंह पुत्र धोकलसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. देह खातेदार अ.विब.- ना.स.422.

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
314/73	4.0700	बंजड़ पाला	4.0700	4.07	स्वीकृत नामांतरकरण : 704 26/05/2025	ग्रहनमुक्त
कुल खसरे - 1	4.0700		4.0700	4.0700		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 24-Feb-2026

NIC

24/02/2026
जठाराम
पटवारी (भू. अ.)
प. म. हाडलाभाटियान
तहसील-कोलायत

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKS

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 24/02/2026 04:00:59


जिला : बीकानेर

तहसील : कोलायत

भू. अ. वि. क्षेत्र : गजनेर

पटवारी हल्का : हाड़लाभाटियान

ग्राम : हाड़लाराबलोतान



Scale 1:4000

खसरा संख्या : 314/73 क्षेत्रफल : 4.0700 Hectare खाता संख्या : 55 पुराना खाता संख्या : 82

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : दजड़ पाला [4.0700, 4.07]

1.) जगमालसिंह पुत्र धोकलसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. देह खातेदार अ.वि.व.- ना.स.422

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील 24/02/2026

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-2) विभाग



क्रमांक: प.14(1)खान/ग्रुप-2/2012


जयपुर, दिनांक: 05 JUL 2021


परिपत्र

अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता डॉ० मनीष सिंघवी के पत्र दिनांक 28.01.2012 के क्रम में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.02.2012 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

यह स्पष्ट है कि खनिजों का खनन वैध खनन पट्टा/लाइसेंस/परमिट के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। इसके अलावा खनन किया जाना अवैध खनन की परिभाषा में आता है, जिसे रोका जाना एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। वन क्षेत्रों में खनन, भारत सरकार के अनारक्षण स्वीकृति के बगैर किया जाना गैर-वानिकी गतिविधियों में आता है। उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्व परिपत्र की निरन्तरता में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की होगी एवं इसके लिए संबंधित वन क्षेत्र के प्रभारी एवं उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा।
2. गैर-वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी खान विभाग की रहेगी एवं इसके लिए खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा।
3. खातेदारी भूमि में अवैध खनन किये जाने पर इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को देने हेतु क्षेत्र का हल्का पटवार जिम्मेवार होगा। पटवारी/खान विभाग द्वारा सूचना दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। तहसीलदार द्वारा अवैध खनन हेतु खान विभाग के नियमों में दी गई शक्तियों का उपयोग कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
4. यदि कोई भूमि औद्योगिक/अन्य कार्यों हेतु रीको/यू.आई.टी./अन्य संस्थाओं को आवंटित कर दी गई हो एवं उसमें अवैध खनन होता हो तो संबंधित संस्था के प्रभारी द्वारा पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जानी चाहिए। यदि उक्त संस्थाएं उन्हे जिस कार्य हेतु भूमि आवंटित की गई है, उसे करने में विफल रहती है तथा अवैध खनन होता हो तो ऐसे आवंटन निरस्त किये जाने हेतु जिला कलेक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावे।
5. राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त अभियान चलाये जाने पर संयुक्त दल में नामित अधिकारी अवैध खनन रोकथाम हेतु विभागीय नियमों के तहत संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे।



(निरंजन अग्रवाल)
मुख्य सचिव



5701

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खान मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. विशेषाधिकारी (तक.) / उपविधि परामर्शी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान) / (भू-विज्ञान), अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


 शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर

क्रमांक:—खअ/बीका/अना/2025-26/

दिनांक:—

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बीकानेर।

विषय:—In the matter of Hon'ble National Green Tribunal O.A. No. 194/2025(CZ) National Nature society V/s Principal Secretary, Department of Mines and Petroleum & Ors.

प्रसंग:—आपका पत्रांक 3809-11 दिनांक 05.03.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके द्वारा चाही गई सूचना का बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार है:—

01. खसरा संख्या 268/77 में इस कार्यालय के तकनीकी दल द्वारा पुलिस थाना गजनेर में एफआईआर संख्या 024/2020 दिनांक 05.03.2020 को तथा खसरा संख्या 73 व 69 में पुलिस थाना गजनेर में एफआईआर संख्या 023/2020 दिनांक 04.03.2020 को दर्ज करवाई गई। दोनो एफआईआर की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। एफआईआर संख्या 024/2020 तथा 023/2020 दोनों एफआईआर में माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है।
02. खसरा संख्या 268/77 तथा 73 व 69 में विभाग द्वारा अन्य कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है।
03. इस कार्यालय के तकनीकी दल द्वारा राजस्थान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 व 60 के तहत क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु नियमित रूप से चैकिंग की जाती है। क्षेत्र में चैकिंग के दौरान निकट ग्राम हाडला भाटियान खसरा संख्या 313/73 व 314/73 पटवार हल्का हाडला भाटियान तहसील कोलायत में खनिज बजरी का अवैध खनन पाया जाने नियमानुसार कार्यवाही करते हुये मौका पंचनामा बनाया जाकर माननीय न्यायालय में इस्तगासा दायर किया गया तथा खातेदारी अधिकार निरस्त हेतु संबधित तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया गया।
04. प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से प्रकरणों में किसी प्रकार की पैनल्टी राशि आरोपित नहीं की गई।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

(महेश प्रकाश पुरोहित)

खनि अभियन्ता, बीकानेर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Mahesh Prakash Purohit

Designation : Engineer

Date: 2026.03.05 15:51:47 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20898219



पुलिस 157

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I/एकीकृत जांच फार्म-I**FIRST INFORMATION REPORT**
(Under Section 154 Cr.P.C.)(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)District
(जिला): बीकानेरP.S.
(थाना): गजनेरDate
(दिनांक): 05/3/2020
Year
(वर्ष): 2020FIR No.
(सू.रि.सं.): 0024Date and Time of FIR
(एफआईआर की तिथि/समय): 05/03/2020 11:23 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	379
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21(4)

(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): बुधवार
Date From (दिनांक से): 04/03/2020
Date To (दिनांक तक): 04/03/2020
Time Period (समय अवधि): पहर 5
Time From (समय से): 13:40 बजे
Time To (समय तक): 13:40 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 05/03/2020
Time (समय): 11:23 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 019
Date & Time (दिनांक एवं समय): 05/03/2020 11:23:00 बजे

Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): दक्षिण, 30.81 किमी
Beat No. (बीट सं.):

(b) Address(पता): खसरा नं. 268/77 हाडलां भाटियान

(c) If the offence is committed outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो)

Name of P.S. (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): श्री श्रवण सिंह
(b) Father's Name (पिता का नाम): श्री प्रताप सिंह(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1990

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue
(जारी करने की तिथि):Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गणेश चौक इन्द्रा कॉलोनी, बीछवाल, बीकानेर, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	गणेश चौक इन्द्रा कॉलोनी, बीछवाल, बीकानेर, राजस्थान, भारत

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-8104555099

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	मगन कंवर		पत्नी:जसवन्त सिंह राजपूत	1. हाडला भाटियान, गजनेर, बीकानेर, राजस्थान, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-1/एकीकृत जाँच फार्म-1

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण नं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

आज दिनांक 05/03/2020 के वक्त 11.23 एएम पर श्री श्रवण मिह शेखावत पुत्र श्री प्रताप मिह ज्ञानि राजपुत उम्र 30 वर्ष बीकानेर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट बदी मजमून राजस्थान सरकार श्रीमान थानाधिकारी पुत्रिम थाना गजनेर बीकानेर विषय अवैध खनन विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने बाबत । महोदय उपयुक्त विषय में निवेदन है कि आज दिनांक 05.03.2020 को थाना पहुँचा तथा सुचित किया कि दिनांक 04/03/2020 को श्रीमान खनि. अभियंता के निर्देशानुसार गजनेर थाने की टीम के साथ निरीक्षण किया गया तो एक जगह अवैध खनन पाया गया । तो मौके पर उपस्थित हल्का पटवारी ने बताया कि यह खनन पिट खसरा संख्या 268/77 पटवार हाडला भाटियान तहसील कोलायत व खातेदार मगन कंवर पत्नी जसवन्ती सिंह जाति राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है इस जगह से खनिज बजरी का निर्गमन किया गया है व इस जगह विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की stp तथा खनन पट्टा देय नहीं है जो MMDR act 1957 की धारा 21 (4) व RMMCR 2017 के नियम 54 व 60 के अन्तर्गत अवैध की श्रेणी में आता है मौके वा पंजनामा बनाया गया जो साथ मलग्न है । अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि खातेदारी भूमि में राजकिय सम्पति खनिज बजरी की चोरी के लिए ipc की धारा 379 व भारतीय दण्ड संहिता में मुकदमा दर्ज कर कठोर कानुनी कार्यवाही कराने का श्रम करावे । एमडी श्रवण मिह भवदीय श्रवणमिह शेखावत कार्यालय खनि. अभियन्ता बीकानेर" पेश की व मजिद पुछताछ पर बताया कि उपरोक्त घटना दिनांक 04.03.2020 के वक्त 01.40 पीएम की है। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 379 भादम व 4/21 एमएमडीआर एक्ट का घटित होना पाया जाता है। अतः प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश श्री फूसाराम हैड कानि 132 के सुपर्द की गई। आईन्दा सीसीटीएनएस में प्रविष्टी का इन्द्राज कर एफआईआर नं. अलग से अंकित किये जावेंगे। व देरी का कारण मजिद पुछताछ पर अवैध खनन की जमीन के स्वामित्व का पता लगाने के कारण हुई है ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):
(जाँच अधिकारी का नाम):

Phusa Ram 132

Rank
(पद):

प्रधान सिपाही

No(सं.): 132

to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

District (जिला):

(4) Transferred to P.S.(थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

कुचरिकादी

15/03

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I/एकीकृत जांच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

05/3/2020
Year (वर्ष): 2020

1. District (जिला): बीकानेर P.S. (थाना): गजनेर

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0023 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 04/03/2020 23:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	379
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): बुधवार Date From (दिनांक से): 04/03/2020 Date To (दिनांक तक): 04/03/2020

Time Period (समय अवधि): पहर 5 Time From (समय से): 14:15 बजे Time To (समय तक): 14:15 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/03/2020 Time (समय): 23:33 बजे

(c) Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 038 Date & Time (दिनांक एवं समय): 04/03/2020 23:33:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): दक्षिण, 20.39 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address(पता): खसरा नं. 73व 69 हाडलां भाटियान

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): undefined

(b) Father's Name (पिता का नाम): undefined

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1990

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खनि. कार्यदेशक II खनि. अभियन्ता, बीकानेर, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	गणेश चौक इन्द्रा कॉलोनी, बीछवाल, बीकानेर, राजस्थान, भारत

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

91-8875888818

Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	प्रेम कंवर		पति:मेघसिंह जाति राजपूत	1. नामालूम, बीकानेर, राजस्थान, भारत
2	महेन्द्रसिंह		पिता:मेघसिंह जाति राजपूत	1. नामालूम, बीकानेर, राजस्थान, भारत
3	विनोद कंवर		पिता:मेघसिंह जाति राजपूत	1. नामालूम, बीकानेर, राजस्थान, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of Interest (Attach separate sheet, If necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्पी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु. में))

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

आज दिनांक 04/03/2020 के वक्त 23:33 पीएम पर श्री श्रवणसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी गणेश चौक इन्द्रा कॉलोनी बीकानेर पुलिस थाना बीछवाल बीकानेर हाल खनि. कार्यदेशक II खनि. अभियन्ता कार्यालय बीकानेर ने हाजिर थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट बदी मजमून राजस्थान सरकार श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना गजनेर बीकानेर विषय अवैध खनन विरुद्ध मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत। महोदय उपयुक्त विषय में निवेदन है कि आज दिनांक 04.03.2020 को श्रीमान खनि. अभियन्ता बीकानेर के निर्देशानुसार अवैध खनन/निर्गमन को रोकने के लिये विभाग की टीम एवं राजस्व तहसीलदार कोलायत, हल्का पटवारी रघुवीर सिंह व गजनेर थाने की टीम के साथ निरीक्षण किया गया तो एक जगह अवैध खनन पाया गया तो मौके पर उपस्थित हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त खनन पिट खसरा सं. 73 व 69 पटवार हल्का हाडला भाटियान तहसील कोलायत तथा खातेदारो के नाम प्रेमकंवर पत्नी मेघसिंह जाति राजपूत, महेन्द्र पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत, विनोद कंवर पुत्री मेघसिंह राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है इस क्षेत्र से खनिज बजरी का निर्गमन किया गया है। उक्त खनन क्षेत्र में विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की एसटीपी तथा खनन पट्टा देय नहीं है MMDR act 1957 की धारा 21,4 व Rmmcr 2017 के नियम 54 व 60 के तहत अवैध की श्रेणी में आता है। मौके पर पंचनामा बनाया गया है, जो साथ संलग्न है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि खातेदारी भूमि में राजकीय सम्पत्ति खनिज बजरी की चोरी के लिये ipc की धारा 379 व उपयुक्त नियमों में मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही कराने का श्रम करावे। संलग्न मूल मौका पंचनामा भवदीय श्रवण सिंह शेखावत कार्या. खनि. अभियन्ता बीकानेर पेश की मजमून रिपोर्ट से मामला धारा 379 भादस व 4/21 एमएमडीआर एक्ट का वक्तु में आना पाया जाने पर तफ्तीश श्री अरविन्द कुमार हैड कानि. 55 के सुपुर्द की गई। मजिद पुछताछ से श्री श्रवणसिंह ने बताया कि उपरोक्त घटना दिनांक 04.03.2020 के वक्त 02.15 पीएम की है। अतः प्रकरण दर्ज किया गया। आईन्दा रिपोर्ट सीसीटीएनएस में प्रविष्टी का इन्द्राज कर एफआईआर नं. अलग से अंकित किये जावेंगे।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):
(जाँच अधिकारी का नाम):

Arvind Kumar Yadav
(पद):

प्रधान सिपाही

No(सं.): 55

to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

District (जिला):

(4) Transferred to P.S.(थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)



राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला बीकानेर

क्रमांक :- तको/रीडर/खनन/26/379

दिनांक :- 09/03/2026

TO,
REGIONAL OFFICER
REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
PLOT NO. SPL-33, PHASE-2nd BHICHWAL INDUSTRIAL AREA
BIKANER- 334001
Bikaner.

विषय :- In the matter of Hon'ble National Green Tribunal O.A. No. 194/2025(CZ) National Nature Society V/s Principal Secretary, Department Of Mines and Petroleum & Ors.

प्रसंग :- क्षेत्रीय अधिकारी Department of Mines & Geology के पत्रांक RPCB/RO/BIK/Legal-49/3809-11 Dated 05/03/2026 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि In the matter of Hon'ble National Green Tribunal O.A. No. 194/2025(CZ) National Nature Society V/s Principal Secretary, Department Of Mines and Petroleum & Ors. में वर्णित निम्नांकित खसरो के संदर्भ में रिपोर्ट निम्नानुसार हैं -

खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
मगन कंवर पत्नि जसवंतसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।	268/77	2.77	बंजड़ पाला
छेलूसिंह पुत्र केशुसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत व नारायणी कंवर पत्नि केशुसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।	313/73	3.23	गै.मु. 0.03 हेक्टर व 3.20 हेक्टर बंजड़ पाला
जगमाल पुत्र धोकलसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।	314/73	4.07	बंजड़ पाला


उक्त तीनों की प्रकरणों में अवैध रूप से बजरी खनन का कार्य किये जाने पर खातेदारों के विरुद्ध राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 व 212 के अन्तर्गत खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त कर रकबे को अराजीराज दर्ज रिकॉर्ड किये जाने हेतु माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत के यहां वाद दायर करवाया जा चुका है। वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत के यहां जैरकार हैं।

 Page 44

ग्राम हाडला भाटियान के खसरा संख्या 69 तादादी 0.47 हेक्टर भूमि के संदर्भ मौका जांच करवाई गई। वर्तमान मौका जांच अनुसार ग्राम हाडला भाटियान के खसरा संख्या 69 तादादी 0.47 हेक्टर भूमि में कोई खनन कार्य नहीं हैं उक्त खसरे पर फसल काशत हैं। रिपोर्ट श्रीमान्जी की सेवा वास्ते अवलोकनार्थ व आगामी आदेशार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार।

भवदीय



(पूनम कंवर RTS)
तहसीलदार (राजस्व)
कोलायत

क्रमांक :- सम/26/380-381

दिनांक :- 09/03/2026

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, बीकानेर की सेवा में सादर सूचनार्थ।



तहसीलदार (राजस्व)
कोलायत

श्रीमानजी

ग्राम डाकना ~~खजोरा~~ के खता नं. 69 तादाती 0.47 ई.

उमकंवर पत्नी लव-मेघासिंह भवानीसिंह मेहनूसिंह शिवसिंह विनोदकंवर
 पुत्र पुत्रिया मेघासिंह बहिव जाति राजपूत साठ 36 खजोडा 34
 रिकार्ड है उक्त भूमि का सारा निरीक्षण किया गया है
 उक्त खते में कोई खत नही है उक्त खते का
 कातर पास गयी।

रिपोर्ट सारा पत्र है


 24/07/2026
 पत्नी डाकना श्रीमान
 (अति.सहाय)



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- हाड़लाभाटियान

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2073 - 2076

पटवार हल्का :- हाड़लाभाटियान

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2073-2076

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- गजनेर

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

तहसील :- कोलायत

खाता संख्या नया :- 147

जिला :- बीकानेर

खाता संख्या पुराना :- 128

काश्तकार का नाम :-

1. प्रेमकंवर पत्नी स्व.मेघसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपूत सा.देह खातेदार अ.विव.- ना.स.470,505
2. भवानीसिंह पुत्र मेघसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपूत सा.देह खातेदार अ.विव.- ना.स.470,505
3. महेन्द्रसिंह पुत्र मेघसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपूत सा.देह खातेदार अ.विव.- ना.स.470,505
4. विनोदकंवर पुत्री मेघसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपूत सा.देह खातेदार अ.विव.- ना.स.470,505
5. शिवसिंह पुत्र मेघसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपूत सा.देह खातेदार अ.विव.- ना.स.470,505,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
64	8.3500	बंजड़ पाला	8.3500	8.35	स्वीकृत नामांतरकरण : 670 12/08/2025रहनमुक्त	
69	0.4700	बंजड़ पाला	0.4700	0.47		
73	3.8200	बंजड़ पाला	3.8200	3.82		
कुल खसरे -3	12.6400		12.6400			

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - jkljklj

पता - lkjlkj

प्रतिलिपि सं. - 76862

आई.पी. - 172.29.170.214

दिनांक व समय -09/Mar/2026 04:43:00 PM

नक़ल जारी करने का स्थान - कोलायत



राजस्थान प्रार्थना पत्र

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला बीकानेर (राज.)।

बनाम


1. मगन कंवर पत्नि जसवंतसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
2. खनि अभियंता, कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मंहोदय,


- प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैं -
1. यह हैं कि प्रार्थी राज्य ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 श्रीमान्जी वाला की अदालत में प्रस्तुत किया हुआ हैं।
 2. यह हैं कि अप्रार्थी के नाम से ग्राम रोही हाडला रावतोलान के राजस्व खसरा नंबर 268/77 में तादादी 2.77 हेक्टर किस्म बंजड पाला रिकॉर्ड दर्ज है।
 3. यह हैं कि अप्रार्थीयां ने उक्त कृषि भूमि में मौके पर खनन कार्य किया जा रहा हैं। जो कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किये जाने से खातेदारी शर्तों का सीधे तौर उल्लंघन हैं तथा गैरकृषि कार्य में काम लिये जाने से शर्त भंग की श्रेणी में आता है।
 4. यह हैं कि अप्रार्थीगण के इस अकृत्य हेतु प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त हो जाता हैं कि अप्रार्थीगण के खिलाफ रोक आज्ञा का आदेश अदालत वाला से प्राप्त करें।
 5. यह हैं कि प्रार्थी विवादित भूमि का लैण्ड होल्डर हैं और उसे मामले में प्रथम दृष्ट्या सुविधा का संतुलन व ना पूरी होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः वो न्यायालय से टी.आई. अप्रार्थीगण के खिलाफ पाने का हकदार हैं।
- लिहाजा दरखास्त प्रस्तुत कर अर्ज हैं कि टी.आई. के तीनों तत्व प्रार्थी के पक्ष में होने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को गैरकृषि कार्य हेतु पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थी


स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये
तहसीलदार (राजस्व) कोलायत
जिला बीकानेर।

सत्यापन

मैं पुनम कंवर वर्तमान तहसीलदार (राजस्व) कोलायत। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 ता 5 में वर्णित समस्त तथ्यों का सही व सत्य होना प्रमाणित करती हूँ। यह सत्यापन आज दिनांक को बेमुकाम कोलायत में लिखाया जाकर सत्यापित किया गया है।


(पुनम कंवर RTS)
तहसीलदार (राजस्व)
हनुमानगढ़

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला वीकानेर (राज.)। प्रार्थी

बनाम

1. मगन कंवर पत्नि जसवंतसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
2. खनि अभियंता, कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग वीकानेर।

अप्रार्थी


शपथ पत्र

मनके पुनम कंवर हाल तहसीलदार (राजस्व) कोलायत की हूं जो कि निम्न वाक्यात् शपथपूर्वक बयान करती हूं -

1. यह कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पैरा संख्या 1 ता 5 के मध्य सभी तथ्य सही सही हल्फन बयान दिये गये है।
2. यह कि उक्त शपथ पत्र को इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा व पढ़ा जावे।

उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 ता 2 के मध्य सभी तथ्य सही सही हल्फन बयान किये हैं और कोई तथ्य घटाया, बढ़ाया व छिपाया नहीं है।

शपथग्रहिता


(पुनम कंवर RTS)
तहसीलदार (राजस्व)
हनुमानगढ़

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार साहब,
कोलायत।

विषय :- कृषि भूमि को गैरकृषि उपयोग में लेकर शर्त भंग करने बावत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम हाडली राबलोला तहसील कोलायत जिला बीकानेर में निम्न प्रकार से खातेदारी कृषि भूमि हैं -

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	लगान
1. भगनकुंवर पत्नी जगन्नीमट जति राजपूत सा. देह खोदिया	268/77	2.77	बंका पाला

उपरोक्त खातेदारों द्वारा उक्त कृषि भूमि में से मौके पर अबैध बजरी खन इस प्रकार कृषि भूमि जो कृषि कार्य हेतु हैं को गैर कृषि कार्य में लिया जाकर शर्त भंग कर दी गई हैं।
अतः खातेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश हैं।

संलग्न :- प्रमाणित जमाबंदी, नक्शा व मौका रिपोर्ट।


24/02/2016
पटवारी
पटवारी बासला श्रीधर
(अति. चार्ज)


24.2.26
भू अभिलेख निरीक्षक
ILR गजनेर

मौका फर्द

आज दिनांक- 24/02/2026 को ग्राम हाडला रावलोगान के खसरा नं. 268/77 तादादी 2.77 ई. भूमि पर मौका निरीक्षण हेतु पहुंचा। मौके पर उक्त खसरा नं. पर अकृषि उपयोग अवैध खजरी खनन पाया गया। उक्त भूमी मंगनकर पत्नी जयवन्तीमठ जाति राजपूत ता० देह खसरा 316/73 के उक्त भूमी पर वर्तमान खनन कार्य किया जा रहा है तथा वर्तमान में कोई व्यक्ति व मागजात सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं हो पायी है।

वर्तमान में ही उक्त खनन का नजदी नक्शा निम्नानुसार है।





खसरा संख्या : 268/77 क्षेत्रफल : 2.7700 Hectare खाता संख्या : 114 पुराना खाता संख्या : 90

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बंजड़ पाला [2.7700, 2.77]

1.) मगनकवर पाले जसवन्तसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. देह खातेदार अ.विद.- ना.स.439,441

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

24/02/2026
जेठाराम
पटवारी (भ. अ.)
प. मं. बीकानेर जिला
तहसील-कोलायत

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- हाइलाराबलोतान
पटवार हल्का :- हाइलाभाटियान
भू.अभि.नि. :- गजनेर
तहसील :- कोलायत
जिला :- बीकानेर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से म्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 114
खाता संख्या पुराना :- 90

काश्तकार का नाम:-

1. मगनकवर पत्नी जसवन्तसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. देह खातेदार अ.विव.- ना.स.439,441,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
268/77	2.7700	बंजड़ पाला	2.7700	2.77	स्वीकृत नामान्तरकरण : 699 17/04/2025	रहनमुक्त
कुल खसरे - 1	2.7700		2.7700	2.7700		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 24-Feb-2026

NIC

24/02/2026
जैठाराम
पटवारी (भू. अ.)
प. मं. कोलायत
तहसील कोलायत

राजस्व प्रार्थना पत्र

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला बीकानेर (राज.)।

बनाम

1. मगन कंवर पत्नि जसवंतसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
2. खनि अभियंता, कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

महोदय,

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैं -


1. निवेदन हैं कि ग्राम हाडला भाटियान तहसील कोलायत में निम्न प्रकार की भूमि कृषि कार्य हेतु अप्रार्थीयां की खातेदारी में कृषि भूमि के रूप में अंकित हैं -

खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
मगन कंवर पत्नि जसवंतसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।	268/77	2.77	बंजड़ पाला

2. यह हैं कि भू अभिलेख निरीक्षक गजनेर एवं पटवारी हल्का हाडला भाटियान से प्राप्त प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ हैं कि अप्रार्थीयां द्वारा उक्त कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन अवैध बजरी खनन कार्य काम में लिया जा रहा हैं अर्थात् कृषि भूमि पर गैरकृषि कार्य कर शर्त भंग की गई हैं एवं भूमि क्षेत्र को हानि पहुंचायी गई हैं। इस कृत्य के लिये अप्रार्थीयां को भूमि क्षेत्र से बेदखल करने व सिवायचक्र घोषित करने की आज्ञा पारित की जावें।
3. यह हैं कि ग्राम हाडला रावतोलान तहसील कोलायत माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने से वाद पेश हैं।
4. यह हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की 177 की उपधारा 4 के तहत न्यायालय शुल्क में छूट दी गई हैं।


अतः वाद पेश कर निवेदन हैं कि अप्रार्थीयां को शर्त भंग करने के कारण मद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि से बेदखली व सिवायचक्र घोषित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी


स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये
तहसीलदार (राजस्व) कोलायत
जिला बीकानेर।

सत्यापन

मैं पुनम कंवर वर्तमान तहसीलदार (राजस्व) कोलायत। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 ता 4 में वर्णित समस्त तथ्यों का सही व सत्य होना प्रमाणित करती हूं। यह सत्यापन आज दिनांक को बेमुकाम कोलायत में लिखाया जाकर सत्यापित किया गया है।


(पुनम कंवर RTS)
तहसीलदार (राजस्व)
कोलायत

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला बीकानेर (राज.)।

प्रार्थी

1. मगन कंवर पत्नि जसवंतसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
2. खनि अभियंता, कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर।

अप्रार्थी


शपथ पत्र

मनके पुनम कंवर हाल तहसीलदार (राजस्व) कोलायत की हूं जो कि निम्न वाक्यात् शपथपूर्वक बयान करती हूं -

1. यह कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पैरा संख्या 1 ता 4 के मध्य सभी तथ्य सही सही हल्फन बयान दिये गये है।
2. यह कि उक्त शपथ पत्र को इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा व पढ़ा जावे।

उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 ता 2 के मध्य सभी तथ्य सही सही हल्फन बयान किये हैं और कोई तथ्य घटाया, बढ़ाया व छिपाया नहीं है।

शपथग्रहिता


(पुनम कंवर RTS)
तहसीलदार (राजस्व)
कोलायत

राजस्व प्रार्थना पत्र

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला बीकानेर (राज.)।

बनाम

1. छेलूसिंह पुत्र केशुसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
2. नारायणी कंवर पत्नि केशुसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
3. खनि अभियंता, कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

महोदय,

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैं -

1. निवेदन हैं कि ग्राम हाडला भाटियान तहसील कोलायत में निम्न प्रकार की भूमि कृषि कार्य हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी में कृषि भूमि के रूप में अंकित हैं -

खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
छेलूसिंह पुत्र केशुसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत व नारायणी कंवर पत्नि केशुसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।	313/73	3.23	गै.मु. 0.03 हेक्ट. 3.20 हेक्ट. बंजड़ पाल

2. यह हैं कि भू अभिलेख निरीक्षक गजनेर एवं पटवारी हल्का हाडला भाटियान से प्राप्त प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन अवैध बजरी खनन कार्य काम में लिया जा रहा हैं अर्थात् कृषि भूमि पर गैरकृषि कार्य कर शर्त भंग की गई हैं एवं भूमि क्षेत्र को हानि पहुंचायी गई हैं। इस कृत्य के लिये अप्रार्थीगण को भूमि क्षेत्र से वेदखल करने व सिवायचक घोषित करने की आज्ञा पारित की जावें।
3. यह हैं कि ग्राम हाडला रावतोलान तहसील कोलायत माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने से वाद पेश हैं।
4. यह हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की 177 की उपधारा 4 के तहत न्यायालय शुल्क में छूट दी गई हैं।

अतः वाद पेश कर निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण को शर्त भंग करने के कारण मद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि से वेदखली व सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये
तहसीलदार (राजस्व) कोलायत
जिला बीकानेर।

सत्यापन

मैं पुनम कंवर वर्तमान तहसीलदार (राजस्व) कोलायत। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 ता 4 में वर्णित समस्त तथ्यों का सही व सत्य होना प्रमाणित करती हूं। यह सत्यापन आज दिनांक को बेमुकाम कोलायत में लिखाया जाकर सत्यापित किया गया है।

(पुनम कंवर RTS)
तहसीलदार (राजस्व)
कोलायत

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला बीकानेर (राज.)।

प्रार्थी

बनाम

1. छेलूसिंह पुत्र केशुसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
2. नारायणी कंवर पत्नि केशुसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
3. खनि अभियंता, कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर।

अप्रार्थी


शपथ पत्र

मनके पुनम कंवर हाल तहसीलदार (राजस्व) कोलायत की हूं जो कि निम्न वाक्यात् शपथपूर्वक बयान करती हूं -

1. यह कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पैरा संख्या 1 ता 4 के मध्य सभी तथ्य सही सही हल्फन बयान दिये गये है।
2. यह कि उक्त शपथ पत्र को इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा व पढ़ा जावे।

उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 ता 2 के मध्य सभी तथ्य सही सही हल्फन बयान किये हैं ओर कोई तथ्य घटाया, बढ़ाया व छिपाया नहीं है।

शपथग्रहिता


(पुनम कंवर RTS)
तहसीलदार (राजस्व)
कोलायत

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार साहब,
कोलायत।

विषय :- कृषि भूमि को गैरकृषि उपयोग में लेकर शर्त भंग करने बावत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम माडला रावलोत तहसील कोलायत जिला बीकानेर में निम्न प्रकार से खातेदारी कृषि भूमि हैं -

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	लगान
1. छोडुमिदपुर खेडुमिदपुर 1/2 डि.	313 73	3.23 5.	31.3.0.03 बफुपाल 320
2. नातपणी वेवा पत्नी लव. खेडुमिदपुर 1/2 डि.			

उपरोक्त खातेदारों द्वारा उक्त कृषि भूमि में से मौके पर अवेध बन्दी

इस प्रकार कृषि भूमि जो कृषि कार्य हेतु हैं को गैर कृषि कार्य में लिया जाकर शर्त भंग कर दी गई हैं।

अतः खातेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश हैं।

संलग्न :- प्रमाणित जमाबंदी, नक्शा व मौका रिपोर्ट।


24/02/2026
पटवारी
पटवारी हाडला श्रीमान् भू अभिलेख निरीक्षक
(अति.चा.4)
24.2.26
I.P.R./V.M.G.

फर्रुखी मोबा

आंख दिनांक 24/02/2026 को ग्राम हाडला राबलोतान के ख.नं. 313/73 का गदाही 3.23 है. घेडुसिह उन रेणुसिह 1/2 हि. नरायणसिंह पर भी. ख. रेणुसिह 1/2 हि. जाति राफूरा सभ 3.23 ख.नं. 313/23 शूनी का मोबा देखा गया। मोबा पर उक्त ख.नं. 313/23 तादाही 3.23 है. शूनी के से लगभग 1.10 है. शूनी पर अवेध बजरी खनन पाया गया। उक्त शूनी पर वर्तमान के खनन कार्य किया जा रहा है तथा अभी वर्तमान के मोबा पर कोई व्यक्ति व कागजात सम्बन्धी कोई पत्रवाची नहीं हो पायी है।

वर्तमान में हो रहे अवैध खनन का नजदी नबखार

निम्नानुसार है



24/02/2026
पंजी हाडला भा.सि.भा.
(कति.न्या.प)

दिनांक 24.2.26
ICR गजमेठ



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- हाडलाराबलोतान
पटवार हल्का :- हाडलाभाटियान
भू.अभि.ति. :- गजनेर
तहसील :- कोलायत
जिला :- बीकानेर

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 33
खाता संख्या पुराना :- 143

काश्तकार का नाम :-


1. छैलु सिंह पुत्र केशुसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
2. नारायणी कंवर पत्रि स्व. केशुसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
313/73	3.2300	गैर मुम्किन बंजड़ पाला	0.0300 3.2000	3.20	स्वीकृत नामांतरकरण : 625 08/06/2023 विरामत	
कुल खसरे - 1	3.2300		3.2300	3.2000		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 24-Feb-2026



24/02/2026
जठाराम
पटवारी (भ. अ.)
प. मं. हाडलाभाटियान
तहसील-कोलायत

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी (प्रतिलिपि)

दिनांक : 24/02/2026 03:56:26 PM


जिला : बीकानेर

तहसील : कोलायत

भू. अ. नि. क्षेत्र : गजनेर

पटवारी हल्का : हाइलाभाटिया

ग्राम : हाइलाराकसौतान



Scale 1:4000

खसरा संख्या : 313/73 क्षेत्रफल : 3.2300 Hectare खाता संख्या : 33पुराना खाता संख्या : 143

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : गैर मुम्किन [0.0300], बंजड़ पाला [3.2000, 3.20]

- 1.) छैलु सिंह पुत्र केशुसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
- 2.) नारायणी कंवर पत्नि स्व. केशुसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

जेठाराम
पटवारी (भ. अ.)
प. मं. ... हाइलाभाटिया
तहसील-कोलायत

- नोट :-
१. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 २. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 ३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

राजस्व प्रार्थना पत्र

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला बीकानेर (राज.)।

बनाम

1. छेलूसिंह पुत्र केशुसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
2. नारायणी कंवर पत्नि केशुसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
3. खनि अभियंता, कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


महोदय,

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैं —

1. यह हैं कि प्रार्थी राज्य ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 श्रीमान्जी वाला की अदालत में प्रस्तुत किया हुआ हैं।
2. यह हैं कि अप्रार्थीगण के नाम से ग्राम रोही हाडला रावतोलान के राजस्व खसरा नंबर 313/73 में तादादी 3.23 हेक्टर किस्म (0.03 हेक्टर गैरमुमकिन व 3.20 हेक्टर बंजड पाला) रिकॉर्ड दर्ज है।
3. यह हैं कि अप्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि में मौके पर खनन कार्य किया जा रहा हैं। जो कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किये जाने से खातेदारी शर्तों का सीधे तौर उल्लंघन हैं तथा गैरकृषि कार्य में काम लिये जाने से शर्त भंग की श्रेणी में आता है।
4. यह हैं कि अप्रार्थीगण के इस अकृत्य हेतु प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त हो जाता हैं कि अप्रार्थीगण के खिलाफ रोक आज्ञा का आदेश अदालत वाला से प्राप्त करें।
5. यह हैं कि प्रार्थी विवादित भूमि का लैण्ड होल्डर हैं और उसे मामले में प्रथम दृष्ट्या सुविधा का संतुलन व ना पूरी होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः वो न्यायालय से टी.आई. अप्रार्थीगण के खिलाफ पाने का हकदार हैं।


लिहाजा दरखास्त प्रस्तुत कर अर्ज हैं कि टी.आई. के तीनों तत्व प्रार्थी के पक्ष में होने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को गैरकृषि कार्य हेतु पाबंद फरमाया जावें।

प्रार्थी


स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये
तहसीलदार (राजस्व) कोलायत
जिला बीकानेर।

सत्यापन

मैं पुनम कंवर वर्तमान तहसीलदार (राजस्व) कोलायत। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, प्रार्थना पत्र की मंद संख्या 1 ता 5 में वर्णित समस्त तथ्यों का सही व सत्य होना प्रमाणित करती हूं। यह सत्यापन आज दिनांक को बेमुकाम कोलायत में लिखाया जाकर सत्यापित किया गया है।


(पुनम कंवर RTS)
तहसीलदार (राजस्व)
हनुमानगढ़

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला बीकानेर (राज.)।

प्रार्थी

बनाम

1. छेलूसिंह पुत्र केशुसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
2. नारायणी कंवर पत्नि केशुसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
3. खनि अभियंता, कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर।

अप्रार्थी


शपथ पत्र

मनके पुनम कंवर हाल तहसीलदार (राजस्व) कोलायत की हूं जो कि निम्न वाक्यात् शपथपूर्वक बयान करती हूं -

1. यह कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पैरा संख्या 1 ता 5 के मध्य सभी तथ्य सही सही हल्फन बयान दिये गये है।
2. यह कि उक्त शपथ पत्र को इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा व पढ़ा जावे।

उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 ता 2 के मध्य सभी तथ्य सही सही हल्फन बयान किये हैं और कोई तथ्य घटाया, बढ़ाया व छिपाया नहीं है।

शपथग्रहिता


(पुनम कंवर RTS)
तहसीलदार (राजस्व)
हनुमानगढ़

राजस्व प्रार्थना पत्र

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला बीकानेर (राज.)।

बनाम

1. जगमाल पुत्र धोकलसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
2. खनि अभियंता, कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

महोदय,

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैं -


1. निवेदन हैं कि ग्राम हाडला भाटियान तहसील कोलायत में निम्न प्रकार की भूमि कृषि कार्य हेतु अप्रार्थीकी खातेदारी में कृषि भूमि के रूप में अंकित हैं -

खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
जगमाल पुत्र धोकलसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।	314/73	4.07	बंजड़ पाला

2. यह हैं कि भू अभिलेख निरीक्षक गजनेर एवं पटवारी हल्का हाडला भाटियान से प्राप्त प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ हैं कि अप्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन अवैध बजरी खनन कार्य काम में लिया जा रहा हैं अर्थात् कृषि भूमि पर गैरकृषि कार्य कर शर्त भंग की गई हैं एवं भूमि क्षेत्र को हानि पहुंचायी गई हैं। इस कृत्य के लिये अप्रार्थी को भूमि क्षेत्र से बेदखल करने व सिवायचक घोषित करने की आज्ञा पारित की जावें।
3. यह हैं कि ग्राम हाडला रावतोलान तहसील कोलायत माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने से वाद पेश हैं।
4. यह हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की 177 की उपधारा 4 के तहत न्यायालय शुल्क में छूट दी गई हैं।


अतः वाद पेश कर निवेदन हैं कि अप्रार्थी को शर्त भंग करने के कारण मद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि से बेदखली व सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी


स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये
तहसीलदार (राजस्व) कोलायत
जिला बीकानेर।

सत्यापन

मैं पुनम कंवर वर्तमान तहसीलदार (राजस्व) कोलायत। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 ता 4 में वर्णित समस्त तथ्यों का सही व सत्य होना प्रमाणित करती हूं। यह सत्यापन आज दिनांक को बेमुकाम कोलायत में लिखाया जाकर सत्यापित किया गया है।


(पुनम कंवर RTS)
तहसीलदार (राजस्व)
कोलायत

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला बीकानेर (राज.)।

प्रार्थी

बनाम

1. जगमाल पुत्र धोकलसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
2. खनि अभियंता, कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर।

अप्रार्थी


शपथ पत्र

मनके पुनम कंवर हाल तहसीलदार (राजस्व) कोलायत की हूं जो कि निम्न वाक्यात्
शपथपूर्वक बयान करती हूं -

1. यह कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के
पैरा संख्या 1 ता 4 के मध्य सभी तथ्य सही सही हल्फन बयान दिये गये है।
2. यह कि उक्त शपथ पत्र को इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा व पढ़ा जावे।

उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 ता 2 के मध्य सभी तथ्य सही सही हल्फन बयान किये हैं
ओर कोई तथ्य घटाया, बढ़ाया व छिपाया नहीं है।

शपथग्रहिता


(पुनम कंवर RTS)
तहसीलदार (राजस्व)
कोलायत

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार साहब,
कोलायत।

विषय :- कृषि भूमि को गैरकृषि उपयोग में लेकर शर्त भंग करने बायत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम हाला रसकोला तहसील कोलायत जिला बीकानेर में निम्न प्रकार से खातेदारी कृषि भूमि हैं -

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	लगान
1. जगन्नाथ सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति रासूल साठे रसकोला	914/73	4.07	बंगाल

उपरोक्त खातेदारों द्वारा उक्त कृषि भूमि में से मौके पर अवैध कृषि खेत इस प्रकार कृषि भूमि जो कृषि कार्य हेतु हैं को गैर कृषि कार्य में लिया जाकर शर्त भंग कर दी गई हैं।
अतः खातेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश हैं।

संलग्न :- प्रमाणित जमाबंदी, नक्शा व मौका रिपोर्ट।

24/02/2026
पटवारी
पटवारी हासला भांडिया
(अति-चाह)


24.2.26
भू अभिलेख निरीक्षक
I.P.R. जिला

फुद मौका

आज दिनांक 24/02/2026 के ग्राम हाडवा रावलोवा के
 पखारा नं. 314/73 तादादी 4.07 है. जगमालीसिंह उम्र दोबलीसिंह
 पति राजेश साह देह स्वतंत्रता भूमि का मौका देखा गया
 मौके पर उम्र खनन. 314/73 तादादी 4.07 है. मैं से जगमग
 2.01 है. भूमि पर अवैध बनी खनन 4/14 0/14। उम्र
 भूमि पर वर्तमान में खनन कार्य किया जा रहा है तथा
 वर्तमान में कोई व्यक्ति व कागजात सम्बन्धी कोई जानकारी
 नहीं हो पायी है

वर्तमान में दो सैद खनन का नती नक्शा

निम्नानुसार है



दिनांक
 24/02/2026

पखारी हाडवा रावलोवा
 (भारि. 0 चाई)



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- हाड़लारावलोतान
पटवार हल्का :- हाड़लाभाटियान
भू.अभि.नि. :- गजनेर
तहसील :- कोलायत
जिला :- बीकानेर

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2073-2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाता संख्या नया :- 55
खाता संख्या पुराना :- 82

काश्तकार का नाम:-

1: जगमालसिंह पुत्र धोकलसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. देह खातेदार अ.विब.- ना.स.422,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
314/73	4.0700	बंजड़ पाला	4.0700	4.07	स्वीकृत नामांतरकरण : 704 26/05/2025	रहनमुक्त
कुल खसरे - 1	4.0700		4.0700	4.0700		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 24-Feb-2026

NIC

24/02/2026
जयाराम
पटवारी (भू. अ.)
प. मं. हाड़लाभाटियान
तहसील-कोलायत

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

दिनांक : 24/02/2026 04:00:59 PM

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

भू. अ. नि. क्षेत्र : गजनेर

जिला : बीकानेर

तहसील : कोलायत

पटवारी हल्का : हाड़लाभाटियान

ग्राम : हाड़लारावलोतान



Scale 1:4000

खसरा संख्या : 314/73 क्षेत्रफल : 4.0700 Hectare खाता संख्या : 55 पुराना खाता संख्या : 82
 भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बंजड़ पाला [4.0700, 4.07]

1.) जगमालसिंह पुत्र धोकलसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. देह खातेदार अ.वि.व.- ना.स.422

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

24/02/2026

राजस्थान
 पटवारी (भू. अ. नि.)
 हाड़लाभाटियान
 तहसील-कोलायत

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

राजस्व प्रार्थना पत्र

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला बीकानेर (राज.)।

बनाम


1. जगमालसिंह पुत्र धोकलसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
2. खनि अभियंता, कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

महोदय,


- प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैं -
1. यह हैं कि प्रार्थी राज्य ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 श्रीमान्जी वाला की अदालत में प्रस्तुत किया हुआ हैं।
 2. यह हैं कि अप्रार्थी के नाम से ग्राम रोही हाडला रावतोलान के राजस्व खसरा नंबर 314/73 में तादादी 4.07 हेक्टर बंजड पाला रिकॉर्ड दर्ज है।
 3. यह हैं कि अप्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि में मौके पर खनन कार्य किया जा रहा हैं। जो कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किये जाने से खातेदारी शर्तों का सीधे तौर उल्लंघन हैं तथा गैरकृषि कार्य में काम लिये जाने से शर्त भंग की श्रेणी में आता है।
 4. यह हैं कि अप्रार्थी के इस अकृत्य हेतु प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त हो जाता हैं कि अप्रार्थी के खिलाफ रोक आज्ञा का आदेश अदालत वाला से प्राप्त करें।
 5. यह हैं कि प्रार्थी विवादित भूमि का लैण्ड होल्डर हैं और उसे मामले में प्रथम दृष्ट्या सुविधा का संतुलन व ना पूरी होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः वो न्यायालय से टी.आई. अप्रार्थीगण के खिलाफ पाने का हकदार हैं।
- लिहाजा दरखास्त प्रस्तुत कर अर्ज हैं कि टी.आई. के तीनों तत्व प्रार्थी के पक्ष में होने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को गैरकृषि कार्य हेतु पाबंद फरमाया जावें।

प्रार्थी


स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये
तहसीलदार (राजस्व) कोलायत
जिला बीकानेर।

सत्यापन

मैं पुनम कंवर वर्तमान तहसीलदार (राजस्व) कोलायत। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 ता 5 में वर्णित समस्त तथ्यों का सही व सत्य होना प्रमाणित करती हूँ। यह सत्यापन आज दिनांक को बेमुकाम कोलायत में लिखाया जाकर सत्यापित किया गया है।


(पुनम कंवर RTS)
तहसीलदार (राजस्व)
हनुमानगढ़

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला वीकानेर (राज.)। प्रार्थी

बनाम

1. जगमालसिंह पुत्र धोकलसिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावतोलान तहसील कोलायत।
2. खनि अभियंता, कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग वीकानेर।

अप्रार्थी

शपथ पत्र

मनके पुनम कंवर हाल तहसीलदार (राजस्व) कोलायत की हूं जो कि निम्न वाक्यात् शपथपूर्वक बयान करती हूं -

1. यह कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पैरा संख्या 1 ता 5 के मध्य सभी तथ्य सही सही हल्फन बयान दिये गये हैं।
2. यह कि उक्त शपथ पत्र को इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा व पढ़ा जावें।

उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 ता 2 के मध्य सभी तथ्य सही सही हल्फन बयान किये हैं और कोई तथ्य घटाया, बढ़ाया व छिपाया नहीं है।

शपथग्रहिता

(पुनम कंवर RTS)
तहसीलदार (राजस्व)
हनुमानगढ़